

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1543 / 2013 / श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष-वृत्त, श्रीगंगानगर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स हिन्द एग्रो कैम सर्विस लि., श्रीगंगानगर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28.04.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स), बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 04.10.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो अपील संख्या 349/आर.वैट/श्रीगंगानगर/2011-12 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26 के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.2011 में जरिये क्रेडिटनोट्स प्राप्त राशि रु.11,77,252/- को अस्वीकार कर, कायम कर रु.47,090/- व अनवृत्ती ब्याज रु.22,132/- की कायम मांग राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि का मूल निर्धारण आदेश दिनांक 05.03.2010 को पारित कर, तदनुसार मांग राशियां कायम की गयी। तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि आलोच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उसके विक्रेता व्यवहारी, जो कि थोक विक्रेता है, से डिस्काउण्ट के जरिये क्रेडिट नोट्स प्राप्त हुये हैं, जिनका लाभ लेकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कय कीमत से कम कीमत पर माल का विक्रय कर, कम प्रतिफल प्राप्त होना घोषित किया गया है एवम् तदनुसार कय कीमत से कम कीमत पर विक्रय घोषित करने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आउटपुट टैक्स से अधिक आगत कर के मुजरा का लाभ चाहा गया। जिसे अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-II के प्रकाश में, अस्वीकार करने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आउटपुट टैक्स से अधिक

लगातार.....2

आगत कर के मुजरा का लाभ चाहा गया। जिसे अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-II के प्रकाश में, अस्वीकार कर, उपर्युक्त वर्णित कर की मांग राशि कायम कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुये कथन किया कि पश्चात्वर्ती प्राप्त "डिस्काउन्ट्स" की आड़ में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कय कीमत से कम कीमत पर माल का विक्रय कर, कर दायित्व घोषित किया है, जो विधिअनुकूल नहीं है जैसाकि अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-II के प्रावधान हैं। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना अवधारित कर, इसमें आनुपातिक रिवर्स टैक्स व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि कायम करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों का विपरीत विवेचन एवम् विश्लेषण कर, प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश अविधिक एवम् अनुचित होना प्रकट कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर, पारित निर्धारण आदेशों को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी।


5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर, कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरण में ही समान बिन्दुओं पर अपील संख्या 530 / 2012 / भरतपुर निर्णय दिनांक 25.10.2013 के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर, अपीलीय आदेश की पुष्टि किये जाने संबंधी न्यायिक दृष्टांत को प्रोद्धरित कर, उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत अपील प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत से पूर्णतः आच्छादित होने के कारण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील भी अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. बहस पर मनन किया एवम् रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरण में ही समान बिन्दुओं पर अपील संख्या 530 / 2012 / भरतपुर निर्णय दिनांक 25.10.2013 व कर बोर्ड द्वारा विभिन्न पारित न्यायिक विनिश्चयों स.वा.

क.अ., घट-चतुर्थ, वृत्त-डी, जोधपुर बनाम् मैसर्स निराली ढाणी (धूत रिसोर्ट्स), चौपासनी रोड, जोधपुर, अपील संख्या-2128 / 2011 / जोधपुर निर्णय दिनांक 21.05.2012 व वा.क.अ., वृत्त-जालौर बनाम् मैसर्स अम्बिका सीमेंट एजेन्सीज, सायला, अपील संख्या 1589 से 1597 / 2011 / जालौर निर्णय दिनांक 18.06.2012, जो (2012) 24 सी.टी.एन. संख्या-29 (7) पर प्रकाशित है का अध्ययन करने के पश्चात् यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि हस्तगत प्रकरण की तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठों (एकलपीठ) के ऊपर अंकित न्यायिक विनिश्चयों से पूर्णतः आच्छादित है। अतः ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।


28.4.2015
(मदन लाल)
सदस्य